


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक. C/4587 / जबलपुर, दिनांक 03/10/2018.  
चार-12-14/80 भाग-दो-जी

श्री सौरभ यादव, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(सी) 13/94/21-ब (एक) दिनांक 06.10.1995, दिनांक 17.05.2005, 22-06-2011, आदेश क्रमांक 3632/21-ब (एक) भोपाल, दिनांक 29-12-2014 एवं क्रमांक 17 (ई) 38/2014/21-ब (एक) 976 भोपाल, दिनांक 08-04-2015 में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 26.09.2018 से वाहन भत्ता रूपये 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किया जाता है।


  
(अरविन्द कुमार शुक्ला)  
रजिस्ट्रार जनरल  
Pur

पृष्ठांकन क्रमांक C/4588 / जबलपुर, दिनांक 03/10/2018  
चार-12-14/80 भाग-दो-जी

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.)
2. रजिस्ट्रार, प्रशासन/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. श्री सौरभ यादव, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(यू.एस. दुबे) 29/9/2018  
रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस.  
Pur